सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax.: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 139 / सो.आ.नि.–312 / 2013
दिनाँकः 15 जुलाई, 2013

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विशयः– जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर की अनुपस्थिति अथवा उक्त पद के रिक्त रहने पर अन्तरिम व्यवस्था।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित महात्मा गांधी नरेगा स्कीम की लेखा परीक्षा नियम–2011 के प्रस्तर–5 में व्यवस्था है कि सोशल आडिट की प्रक्रिया स्वतंत्र प्रक्रिया होगी और क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएग। इसे ध्यान रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के अवकाश पर जाने, पद त्याग करने अथवा पद रिक्त रहने की दशा में जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के पद का कार्यभार जनपद के उपयुक्त ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को सौंप दिया जाएगा। इसी प्रकार रु0 1.00 करोड़ से अधिक व्यय करने वाले विकास खण्ड के ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर (BSAC) के अवकाश पर जाने, पद त्याग करने अथवा पद रिक्त होने की दशा में BSAC पद का कार्यभार किसी नजदीकी विकास खण्ड के उपयुक्त BSAC को दे दिया जाएगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थाई रूप से होगी और यह आवश्यक होगा कि पद के रिक्त की स्थिति में इसे नियमित रूप से भरे जाने की कार्यवाही तत्परता से की जाए।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक

पत्रांकः–139 / सो.आ.नि.– / 2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन।
2– आयुक्त / रोजगार गारण्टी आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

(शंकर सिंह)
निदेशक